

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7019

दिनांक: 22.08.2024

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) झुन्झुनू।

विषय :- नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 740 दिनांक 21.08.2024

संदर्भ:- आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट क्रमांक 6722 दिनांक 19.08.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि दिनांक 10.09.2024 एवं 11.09.2024 को मन्दिरों में भादव अमावस्या की वार्षिक पूजा अर्चना में देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झुन्झुनू में आते हैं। उक्त वार्षिक पूजा अर्चना के दौरान काफी संख्या में पुलिस जाफ़ा भी नियोजित किया जाता है। मन्दिरों के आस पास स्थित भवनों में नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर झुन्झुनू जिले की 19 नगरीय निकायों के आम चुनाव में आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में अंकित झुन्झुनू जिले की नगरीय निकायों के मतदान चरणों के समस्त नगरीय निकायों को द्वितीय चरण में एवं द्वितीय चरण की समस्त नगरीय निकायों को प्रथम चरण में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार आयोग को प्रेषित किए हैं:-

Ist Spell		IInd Spell	
नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या
झुन्झुनू	60	पिलानी	35
बग्गाड़	20	चिडावा	45
सुलताना	25	मण्डेला	25
नवलगढ़	45	विद्याविहार	25
जाखल	20	सूरजगढ़	25
मुकुन्दगढ़	25	सिंघाना	35
डूण्डलोद	20	बुहाना	20
खेतड़ी	25	मण्डावा	25
उदयपुरवाटी	35	बिसाऊ	25
—	—	मलसीसर	20

प्रस्तावनुसार तिथि परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7020-28
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 22.08.2024

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (वित्त मार्गोपाय) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी झुन्झुनू।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्यीय दल, राजस्थान।
9. एनालिस्टर-कम-प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।


उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर, राजस्थान